

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प 335  
5051मी

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खालपुर का नाम व भू.अ.नि. 5051मी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 335 नामक तहसीलदार की अनुमति के आधार

पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 335 तहसील 335 व

जिला 335 की जमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्धिकृत जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	खालपुर का	17, 18	पितराज सिंह शंकर सिंह	श्रीराम सिंह शंकर सिंह
2.	खालपुर का बाल	84	विभागाधीन शोशा	सुभा शोशा

प्रभारी अधिकारी के लिए  
पीठासीन अधिकारी  
पंचायत लोक अदालत  
(शेखर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 87

दिनांक :- 01/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार 335 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर

पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी के लिए  
पीठासीन अधिकारी  
पंचायत लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी